ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :	तारीख दायर :	किस्म दुरुस्ती :
27 / 2025	04—03—2025	दुरुस्ती इन्द्राज

श्री मांगी राम पुत्र श्री सटी, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्री मांगी राम पुत्र श्री सटी, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम वाका चक लाडसा के राजस्व कागजात में मंगत राम पुत्र उदय राम पुत्र श्रीमती रेगु पुत्री सटी दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का असली नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं शपथ—पत्र के अनुसार मांगी राम पुत्र सटी है। वादी राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में मंगत राम पुत्र सटी के स्थान पर सही नाम मांगी राम पुत्र सटी दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से करवाई गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि राजस्व अभिलेख में चक लालसा की जमाबंदी वर्ष 2018—19 के अराजी खाता नम्बर 371, 372, 373 व 374 में आवेदक का नाम मंगत राम पुत्र सटी पुत्र काला माल कागजात है और संलग्न दस्तावेजों एवं मुताबिक ब्यान बाशिंदगान देह से पाया कि मंगत राम पुत्र सटी पुत्र काला एवं मांगी राम पुत्र सटी दोनों एक ही व्यक्ति हैं और आवेदक को मांगी राम व मंगत राम दोनों नाम से जाना है जिसे राजस्व कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में मंगत राम पुत्र सटी के स्थान पर सही नाम मांगी राम उर्फ मंगत राम पुत्र सटी दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे—सम्बन्धी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 02—07—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :	तारीख दायर :	किस्म दुरुस्ती :
30 / 2025	04—03—2025	दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती बुद्धि देवी पुत्री श्री मेन्डकू, हालाबाद पत्नी श्री मांगी राम, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती बुद्धि देवी पुत्री श्री मेन्डकू, हालाबाद पत्नी श्री मांगी राम, निवासी गांव लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया का नाम वाका चक लाडसा के राजस्व कागजात में कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्र ब्रेस्तू दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादिया का असली नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं शपथ—पत्र के अनुसार बुद्वी देवी पुत्री मेन्डकू है। वादिया राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में अपना नाम कुदी देवी पुत्री मेन्डकू के स्थान पर बुद्धि देवी पुत्री मेन्डकू सही नाम मुताबिक दस्तावेजों के दुरुस्त करना चाहती है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से करवाई गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि राजस्व अभिलेख में चक लालसा की जमाबंदी वर्ष 2018—19 के अराजी खाता नम्बर 343, 344 व 345 में वादिया का नाम कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्री ब्रेस्तू माल कागजात दर्ज है और संलग्न दस्तावेजों एवं मुताबिक ब्यान बाशिंदगान देह से पाया कि कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्री ब्रेस्तू व बुद्धि देवी पत्नी मांगी राम दोनों एक ही व्यक्ति है और आवेदिका को इसी नाम से जाना जाता है जिसे राजस्व कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिया का नाम राजस्व कागजात मोहाल लाडसा में कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्री ब्रेस्तू के स्थान पर सही नाम बुद्धि देवी उर्फ कुदी देवी पुत्री मेन्डकू पुत्री ब्रेस्तू दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे—सम्बन्धी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 25—06—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :	तारीख दायर :	किस्म दुरुस्ती :
28 / 2025	25—03—2025	दुरुस्ती इन्द्राज

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री जेठू राम, निवासी गांव शाह, डाकघर धारगौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री जेठू राम, निवासी गांव शाह, डाकघर धारगौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम वाका चक जडीडं के राजस्व कागजात में राजीव गांधी पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का असली नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र एवं शपथ—पत्र के अनुसार राजीव कुमार पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू है। वादी राजस्व कागजात मोहाल जडीडं में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजों के सही नाम राजीव कुमार पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से करवाई गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2023—24 महाल जडीण्ड (99) में खाता/खतौनी संख्या 100, मिन/237 में खाना मालिक में मोथू नारायण दास आदि मालकान दर्ज है व खाना काश्त में जेठू राम आदि हिस्सादारान वाहिवान राजीव गांधी, मस्तराम पुत्र जेठू पुत्र रूणकू स्थानीय वासी महुबाल्यान काश्त व कब्जा स्वयं महुबाल्या दर्ज है। मुताबिक वादी के उक्त खतौनी में सायल का नाम राजीव गांधी दर्ज है जाकि गलत है और मिसल में संलग्न दस्तावेजों एवं मुताबिक ब्यान बाशिंदगान देह से पाया कि सायल का नाम माल कागजात में राजीव गांधी से दुरुस्त होकर असल नाम राजीव कुमार माल कागजात में दर्ज करने की सिफारिश की जाती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मोहाल जडीडं, में राजीव गांधी पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू के स्थान पर सही नाम राजीव कुमार पुत्र जेठू राम पुत्र रूण्कू दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे—सम्बन्धी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 25—06—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

—————————